

समाहरणालय, सीतामढ़ी

जिला आपूर्ति प्रशाखा
संशोधित प्रति

दिनांक 20.08.2019 को जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी की अध्यक्षता में नव चयनित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों के जांच के उपरान्त आवश्यक निर्णय हेतु सम्मन जिला स्तरीय चयन समिति के बैठक की कार्यवाही की संशोधित प्रति :-

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार
इस कार्यालय के आदेश शापक- 719/विओआन, दिनांक 20.8.2019 द्वारा निर्गत जिला चयन समिति के निर्णय में आंशिक संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से चयन किया जाता है :-

क्र०	अनुमण्डल का नाम	प्रखण्ड	पंचायत	सेक्टर क्रमांक	कोटि	पूर्व में चयनित व्यक्ति का नाम पता	आपत्तिका का नाम पता	आपत्ति का विवरण	जोचोपरांत अनुमण्डल पदाधिकारी का मत	जिला चयन समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पुपरी	सुरसण्ड	कुमा	6	विजय	मणी शंकर प्रसाद, पिता- फेकन राय, ग्राम- बखरी, थाना- सुरसण्ड, मो- 8709801287	अंकित कुमार, पिता अबु प्रसाद ग्रामपंचो- सुरसण्ड थाना- सुरसण्ड, सीतामढ़ी	प्रकाशित मेधा सूची में सिर्फ मेरा नाम अंकित था परन्तु चयनित दुसरे अर्थार्थी का किया गया है।	चयनित अर्थार्थी मणिराकर प्रसाद, जिनका औपचारिक मेधा सूची में प्रकाशन सेक्टर क्रमांक 36 विरुद्ध पंचायत में किया गया था। बखरी ग्राम जो की विरुद्ध पंचायत में भी है एवं कुमा मंचायत में भी है। मणिराकर प्रसाद द्वारा दिनांक 21.08.2018 को साक्ष्य के साथ दावा आपत्ती दिया कि उनका नाम औपचारिक सूची में प्रकाशित नहीं हुआ है। उनके द्वारा साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात यह पाया गया कि ये ग्राम- बखरी, पंचायत- कुमा के निवासी है जो की सेक्टर क्रमांक 06 के लिए है। त्रुटि सुधार कर इनका नाम पुनः चयन समिति को भेजी जाने वाली सूची में सेक्टर क्रमांक 06 पर अंकित कर जिला चयन समिति को भेजा गया। जिला चयन समिति का निर्णय अपेक्षित है।	पूर्व का चयन यथावत।
2	पुपरी	सुरसण्ड	श्रीखड़ी भिता परिभो	47	समाच	रजित चौधरी पिता- राम मदन चौधरी ग्राम- हनुमान नगर थाना- सुरसण्ड जिला- सीतामढ़ी	रजित चौधरी, पिता रामनंदन चौधरी ग्राम+पंचो- हनुमानपुर पंचायत- श्रीखड़ी जिला परिषदी	मंश चयन सेक्टर क्रमांक 47 पर हुआ है एवं मेरे पति का रजम सेक्टर क्रमांक 45 पर हुआ है। मैं अपना अनुसूचित सेक्टर क्रमांक 47 से नहीं लेना चाहता हूँ	चयनित आवेदक रजित कुमार, यह आवेदन दिया गया है कि सेक्टर क्रमांक 47 पर इनका चयन किया गया है परन्तु ये जोरिओपडो विक्रेता का लालो नहीं लेना चाहते हैं। द्वितीय स्थान पर चयनित आवेदक रजत कुमार की पत्नी को पूर्व से ही जोरिओपडो की अनुसूचित निर्गत है।	पूर्व का चयन निरस्त। अर्हता एवं योग्यता के अन्वय पर कृपा कुमार, पिता- श्री नरेश मंडल, ग्राम- नवाही, थाना- सुरसण्ड, जिला- सीतामढ़ी को चयन किया जाता है।

समिति के निर्णय के अनुरूप सभी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित शीघ्र-शीघ्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया। सभी संशोधित अनुमण्डल पदाधिकारी अनुसूचित निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने कि आवेदक विहार कर दो। आदेश, 2016 के अनुरूप अनुसूचित निर्गत करने की सभी शर्तों को पूरी करते हैं तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 1750 दिनांक 10.03.2016 के आलाक में उपलब्ध कराये गये सभी कामजातों का मिलान मूल प्रति से करने के उपरान्त अनुसूचित निर्गत करने एवं तत्संबंधी सूचना भेजना सुनिश्चित करेंगे। अनुसूचित निर्गत करने के पूर्व आवेदक से कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रथम-पत्र प्राप्त करने कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया सभी कागजात पूर्णतः सत्य एवं सही है। (फिजी नहीं है), यदि प्रस्तुत कागजात फिजी या गलत पाया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाई की जायेगी।

723/19/311
20.8.2019

आयक
दिनांक
अनुमण्डल पदाधिकारी पुपरी का संचालन एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रशासनिक - जिला संचयन एवं वित्तियन दस्तावेजों(NIC), सीतामढ़ी को संचयन सूची का प्रकाशन जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना हेतु प्रेषित।
पुनर्निर्गत - जिला संचयन एवं जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संचयन एवं संचयन कार्यवाई को संचयन एवं संचयन कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रशासनिक - जिला संचयन एवं जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संचयन एवं संचयन कार्यवाई को संचयन एवं संचयन कार्यवाई हेतु प्रेषित।

f0 / -
जिला पदाधिकारी
सीतामढ़ी।

जिला पदाधिकारी
सीतामढ़ी
20/8/19